

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department

Notification

G.S.R. _____ Patna, Dated _____

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No.- 654(E), Dated 30th March, 2011 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order, 2011 with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, **Sugar** for a further period up to 30th September, 2011 from the date of commencement of this order.

2. The deletion of **Sugar** from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. 2354, dated 15th July, 2003 shall be kept in abeyance upto 30th September, 2011.
3. The provisions of Bihar Trade Articles (Licensing Unification) order 1984 shall remain applicable in respect of wholesale and Retail dealer of **Sugar**.
- 4 The validity of the departmental notification issued vide memo no. 341 dated 19.01.2011 is extended upto 30th September, 2011.
5. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.
- 6 This notification shall come into force at once.

(Pra/04-aa-01/09-Part-I)

By order of the Governor of Bihar



(Krishna Chandra Jha)

Additional Secretary to the Govt. of Bihar

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

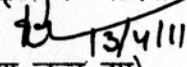
अधिसूचना

जी० एस० आर० पटना / दिनांक

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का० आ० संख्या- 654(अ) दिनांक 30 मार्च, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् चीनी को 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354 दिनांक 15.07.2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी 30 सितम्बर, 2011 तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।
7. चीनी के थोक एवं खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे ।
8. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 341 दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।
9. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
10. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(प्र०४/आ-०१/०९(खंड-I)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

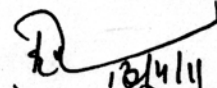

(कृष्ण चन्द्र झा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०४-आ०-०१/२००९(खण्ड-I) **2595** दिनांक- **13.04.2011**

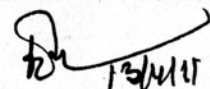
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अंग्रेजी अनुवाद सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 200 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।


सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र04-आ0-01/2009(खण्ड-I) 2595 दिनांक- 13.04.2011

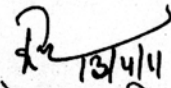
प्रतिलिपि:- सरकार के सभी सचिव/आयुक्त एवं सचिव, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी-6, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्य लोक, पटना/श्री श्रीकांत लाभ, महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स असोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना-4/डा0 लखी चन्द यादव, महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानद्वारा संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

 13/4/11

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र04-आ0-01/2009(खण्ड-I) 2595 दिनांक- 13.04.2011

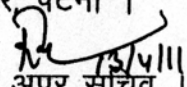
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना /प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

 13/4/11

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र04-आ0-01/2009(खण्ड-I) 2595 दिनांक- 13.04.2011

प्रतिलिपि:- सूचना पट्ट, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

 13/4/11

सरकार के अपर सचिव ।